न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 64/2022

आरसीएमएस नं. 2022/64

महेन्द्र कुमार पुत्र उदयराम जाति जाट निवासी हनुमानगढ टाउन हाल आबाद श्योदनमल राईस मील के सामने टिब्बी रोड़ ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा–हरियाणा।

––अपीलांट

बनाम

1. हरदेव सिह पुत्र चनण सिंह जाति जटसिख निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ हाल आबाद 97 सैन्ट्रल स्कूल स्कीम ऐयरपोर्ट एरिया मौसम विभाग के पास जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर–राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर हनुमानगढ दिनांक 03.03.2022

प्रकरण संख्या 332/2016

उपस्थितिः–

श्री देवदत्त भिड़ासरा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री शमशेर सिंह संधू अभिभाषक रेस्पोडेण्ट रेस्पो0 सं0 1

श्री रविन्द्र भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक 29.07.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र किया एवं उसकी चक 3 आरआरडब्ल्यू के प. नं. 127/241 व प. नं. 127/242 की कुल 1.694 है0 भूमि है जिसमें आने जाने हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट की प. नं. 218/241 मु. नं. 53 किला नं. 20 व 21 में 16 फुट 6 इंच चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा। अपीलाण्ट/अप्रार्थी ने जवाब

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रार्थना–पत्र पेश कर रास्ता स्वीकृति का प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायायल ने अपीलधीनअ ादेशके द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट हरदेव सिह की भूमि के चिपती हुई सादुल ब्रांच नहर निकलती है उक्त पटरी को सभी ग्रामवासी व काश्तकार खेतों में आने जाने हेतु उपयोग उपभोग करते हैं। रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि में आने जाने हेतु पूर्व में ही रास्ता उपलब्ध है इसलिए नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी व रेस्पो0 सं0 1 के कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार करके तहसीलदार को पेश की है। इस प्रकार राजस्थान कातश्कारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 की पालना नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्गों को कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। निर्णय में भी वैकल्पिक मार्ग का कोई विवेचन नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट को अपनी भमि में जाने हेतु किसी रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अपीलाण्ट को तबादला में दी गई प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है एवं संयुक्त खाता की भूमि में खाता विभाजन किये बिना किसी विशिष्ट भू भाग को तबादला में नहीं दिया जा सकता है। इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014 (1) पेज 40, आरआरटी 2017 पेज 515, आरआरटी 2017 (1) पेज 342, आरआरअ 2016 (1) पेज 649, आरआरटी 2017 (1) पेज 426, आबीजे 2020 पेज 35 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मोका रिपोर्ट लेने के उपरान्त वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। मोका रिपोर्ट कानूनी प्रावधानों के अनुसार बनाई गई है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिवक्त ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 37 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 के प्रार्थना–पत्र के पर तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। मोका रिपोर्ट दिनांक 16.05.2018 के बिन्दू संख्या 5 में यह अंकित है कि नहर की पटरी के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। अपीलाण्ट का कथन है कि नहरी की पटरी पर रास्ता विद्यमान है सभी ग्रामवासी व काश्तकार अपने खेतों में आने जाने हेतु नहर की पटरी का रास्ता के रूप में उपयोग कर रहे हैं इसलिए इसलिए रेस्पोडेण्ट के पास आवागनम हेतु रास्ता विद्यमान है वह नये रास्ते की मांग नहीं कर सकता है। न्यायालय का मत है कि क्या नहर की पटरी पर रास्ता मौजूद है एवं उस रास्ते का आम काश्तकार आवागमन हेतु उपयोग करते है? तथा क्या नहर की पटरी पर मौजूद रास्ते का आवागमन हेतु उपयोग करना वैध है ? इन बिन्दूओं पर सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी से रिपाट ली जानी उचित है। अतः अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सिंचाई विभाग से यह रिपोर्ट प्राप्त करे कि क्या नहर की पटरी पर रास्ता मौजूद है एवं उस रास्ते का आम काश्तकार आवागमन हेतु उपयोग करते है? तथा क्या नहर की पटरी पर मौजूद रास्ते का आवागमन हेतु उपयोग करना वैध है ? यह रिपोर्ट आने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.7.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/7/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ